संख्या-2/2018/445/31-2017-06/2017टी0सी0

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग **लखनऊः** **दिनांकः 15 फरवरी, 2018**

विषयः- प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु नवीन व्यवस्था।

महोदय,

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के शासनादेश संख्या-6/2017/1508/31-2017-06/2017 दिनांक 07 सितम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु नवीन व्यवस्था लागू की गयी है। उक्त शासनादेश में विभिन्न विभागों के चिन्हित 61 महत्वपूर्ण प्राथमिकता कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विभागों द्वारा प्रपत्र निर्धारित कराकर कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को उपलब्ध कराए गए हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ''राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना'' के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु निर्धारित प्रपत्रों में से एक प्रपत्र-35 सी ''हैण्डपम्पों के रीबोर'' हेतु नामित नोडल विभाग, ग्राम्य विकास विभाग के स्थान पर पंचायतीराज विभाग को नोडल विभाग नामित किया जाता है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2/2018/445**/31-2017- 06/2017टी0सी0 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज/ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

4- गार्ड फाइल।

भवदीय,

(विवेक वार्ष्णेय)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।